भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 234
14 दिसंबर, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री-किसान सम्मान निधि योजना का आकलन

***234. श्री ए. गणेशमूर्ति:**
श्री राजकुमार चाहर:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सुनिश्चित करने हेतु कोई जांच संपरीक्षा अथवा सर्वेक्षण किया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के लाभ लक्षित लाभार्थियों को मिलें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में सभी किसानों को इस योजना के लाभ प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 14.12.2021 को उत्तरार्थ "प्रधानमंत्री-किसान सम्मान निधि योजना का आकलन" के संबंध में श्री ए. गणेशमूर्ति एवं श्री राजकुमार चाहर द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 234 के भाग (क) से (ग) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) एवं (ख): प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) की संरचना में पहले से ही आधार/पीएफएमएस/आयकर जैसे विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा लाभार्थियों के निरंतर सत्यापन एवं वैधीकरण पर आधारित त्रुटियों को दूर करने हेतु कार्यतंत्र शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। इसके अलावा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को, आयकर भुगतानकर्ता, पेंशनभोगी आदि के आधार पर अपात्र के रूप में लाभार्थियों को चिन्हित करने हेतु अधिदेशित किया गया है। पीएम-किसान पोर्टल पर एक वास्तविक सत्यापन मॉडयूल भी विकसित किया गया है। पीएम-किसान योजना के अनुमोदित मानदंडों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लाभार्थियों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए उनकी संख्या के लगभग 5-10 प्रतिशत का वास्तविक सत्यापन करना जरूरी होता है। इसके अलावा सरकार द्वारा निम्नलिखित विशेष उपाय किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह योजना इच्छित किसानों के लाभ के उद्देश्य से उचित रूप से कार्यान्वित की जा रही है:

(i) अपात्र लाभार्थियों से पैसे की वसूली करने के लिए मानक प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
(ii) आयकर भुगतानकर्ताओं की पहचान करने के लिए मानक प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं और इन्हें राज्यों को प्रचालित कर दिया गया है।
(iii) पीएम-किसान योजना के तहत किसानों के पंजीकरण व सत्यापन के दौरान उपायों को अपनाने हेतु राज्यों को सावधानी परामर्शिका जारी कर दी गई है।
(iv) राज्यों सरकारों को पीएम-किसान योजना के लाभार्थियों के वास्तविक सत्यापन हेतु मानक प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
(v) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्राम सभा की बैठक में लाभार्थियों की सूची की सामाजिक लेखा-परीक्षा करने के निदेश दिए गए हैं।

(ग): पीएम-किसान योजना एक निरंतर एवं सतत योजना है। इस योजना के तहत लाभार्थी की पहचान करने तथा पीएम-किसान पोर्टल पर उनका सही और सत्यापित डेटा अपलोड करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की होती है। लाभार्थियों का सही और सत्यापित डेटा प्राप्त होने तथा आधार/पीएमएफएमएस/आयकर डेटाबेस के माध्यम से इसके उत्तरवर्ती वैधीकरण के आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के जरिए पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में लाभ सीधे तौर पर अंतरित किए जाते हैं।

दिनांक 08.12.2021 तक इस योजना के तहत विभिन्न किस्तों के माध्यम से 11.61 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को लगभग 1.61 लाख करोड़ रूपए के वित्तीय लाभ दिए गए हैं।

*****